बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक : 215139 / **पटना, दिनांक** 06/01/2015

ग्रा0वि0अनु0को0 89/2014

प्रेषक,

अभ्येन्द्र मोहन सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :– दिनांक 02/12/2014 को आहुत उप विकास आयुक्तों की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक दिनांक 02/12/2014 को आहुत उप विकास आयुक्तों की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि बैठक में विभिन्न बिन्दूओं पर लिये गये निर्णय के आलोक में समुचित कार्रवाई करते हुये अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक – यथोक्त ।

विश्वासभाजन
6.1.15
(अभ्येन्द्र मोहन सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी
ग्रामीण विकास विभाग ।

प्रतिलिपि – सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

6.1.15
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

o/c

दिनांक- 02.12.2014 को आयोजित राज्य स्तरीय उप विकास आयुक्तों के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यावही

सर्वप्रथम सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बैठक की कार्यवाई प्रारंभ की गई, जिसमें विभाग के माननीय मंत्री, श्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित थे ।

मनरेगा

- सचिव महोदय के द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दिया जाय । मनरेगा अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संबंधित डी0आर0डी0ए0 से अंकेक्षण का कार्य देख रहे लेखापाल को भेजने का निदेश दिया गया ।
- मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा दिनांक- 02.12.2012 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हुए विडियों कान्फ्रेसिंग के संबंध में सूचित करते हुए अनुरोध किया गया कि अविलम्ब प्रत्येक डी0आर0डी0ए0 से जहाँ प्रशासनिक मद में 60 प्रतिशत की राशि खर्च हो चुकी है, द्वितिये किस्त के आवंटन हेतु अविलम्ब भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय ।
- मनरेगा योजनाओं की वित्तीय समीक्षा के क्रम में सचिव महोदय द्वारा मनरेगा सॉफ्ट पर प्रदर्शित हो रहे खर्च पर क्षोभ व्यक्त किया गया । सुपौल, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर जिलों के उप विकास आयुक्त से कम प्रदर्शित हो रहे खर्च पर कारण पृच्छा की गई । सभी जिलों को निदेश दिया गया कि 31 दिसम्बर से पूर्व अभियान चलाकर अद्यतन किये गये खर्च की डाटा इंट्री नरेगा सॉफ्ट पर करा लिया जाय ।
- मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त परिवाद पत्र (VIP एवं General) जो अनुपालन हेतु में जिलों में लंबित है, इस विषय पर सभी उप विकास आयुक्तों का ध्यान आकृष्ट किया गया तथा निदेश दिया गया कि सभी लंबित परिवादों की जॉच कराकर, ATR 15 दिनों के अंदर भेजा जाय, ताकि भारत सरकार को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जा सके ।
- मनरेगा योजनाओं में अनियमितता की शिकायत को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में दायर वादों के मामले जो विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाले राज्य स्तरीय शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण समिति के पास लंबित हैं, उन वादों से संबंधित शिकायत के निष्पादन हेतु भी सभी संबंधित जिले यथा सारण, वैशाली, जमुई, सहरसा, सिवान एवं भोजपुर के उप विकास आयुक्तों को निदेशित किया गया । अनुरोध किया गया कि जॉचोंपरांत उन सभी वादों में ATR शीध्र प्रेषित किया जाय ।

- मनरेगा स्टैंड एलोन अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन ससमय भेजने हेतु भी सभी संबंधित जिले के उप विकास आयुक्तों को निदेशित किया गया । उक्त तिथि तक 15 जिलों में से 2 जिलों क्रमशः प0 चम्पारण एवं जहानाबाद का अनुपालन प्रतिवेदन लंबित था । जिन्हें निदेश दिया गया कि शीध्र अनुपालन प्रवितेदन प्रेषित कर दिया जाय ।

IPPE (हमारा गॉव हमारी योजना)

- UNDP Consultant श्री सुभेन्द्र सान्याल द्वारा IPPE (हमारा गॉव हमारी योजना) के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया ।
- जिलों में मनरेगा अंतर्गत श्रम बजट के निर्माण एवं वार्षिक कार्य योजना तथा परिपेक्ष्य योजना के चयन हेतु चल रहे वार्ड सभाओं की प्रगति के संबंध में सभी जिलों से समीक्षा की गई । इस कार्य में पीछे चल रहे जिलों को तेजी लाने की निदेश दिया गया।
- सभी उप विकास आयुक्तों द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा अन्य विभागों के पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा IPPE की प्रक्रिया में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है ।
- सचिव महोदय द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों को निदेश दिया गया कि IPPE के सफल संचालन हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो इस प्रक्रिया के प्रभारी पदाधिकारी भी है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि सफलतापूर्वक इसका संचालन किया जा सके ।

<u>सामाजिक अंकेक्षण</u>

- जिलों को सूचित किया गया सभी जिलों के पॉच ग्राम पंचायतों में विशेष सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा। निदेशित किया गया कि उप विकास आयुक्त सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को इस आशय की सूचना देंगे ।

- सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया वे अपने स्तर से सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को निदेशित करेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण दल को सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सभी अभिलेख एवं दस्तावेज उपलब्ध कराये ताकि इसे सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा सके ।

ई-एफ0एम0एस

- सभी उप विकास आयुक्तों को सूचित किया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह निदेश दिया गया कि दिसम्बर माह से बिहार के सभी जिलों में मनरेगा अंतर्गत किये जाने वाले मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान ई-एफ0एम0एस प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा ।

- सभी जिले के e-FMS के नोडल पदाधिकारियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है । इस आलोक में निदेश दिया गया है कि सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी अपने जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारियों, कार्यक्रम पदाधिकारियों को जिला में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर प्रशिक्षित करेगें ।

- e-FMS भुगतान प्रणाली में इस्तेमाल किय जाने वाले Digital Signature के निर्माण हेतु कई जिलों से प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों के आवदेन पत्र प्राप्त नहीं हुए है । उन्हें शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया है ।

इन्दिरा आवास योजना

- सर्वप्रथम विभाग के परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी उप विकास आयुक्त का स्वागत किया गया । इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत जिलों के द्वारा की गई उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की गई है ।

- **आवास सॉफ्ट पर लक्ष्य के विरूद्ध लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि की विमुक्ति** :- दिनांक 01.12.2014 तक आवास सॉफ्ट पर राज्य के कुल भौतिक लक्ष्य 274981 के विरूद्ध कुल 232583 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि की विमुक्ति की गई है जो कि लगभग 87 प्रतिशत है । वैसे जिला जहॉ लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत लाभुको को प्रथम किस्त की राशि की विमुक्ति आवास साफ्ट पर परिलक्षित हो रहे हैं वो है - नवादा, पश्चिम चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका एवं शेखपुरा । 90 प्रतिशत से अधिक किन्तु 100 प्रतिशत से कम वैसे जिले जहॉ प्रथम किस्त की राशि की विमुक्ति आवास साफ्ट पर परिलक्षित हो रहे हैं वे हैं - बक्सर 99.5 प्रतिशत , औरंगाबाद- 99.5 प्रतिशत, अरवल-99.0 प्रतिशत, रोहतास-98.7 प्रतिशत, कटिहार- 98.4 प्रतिशत, किशनगंज- 98.3प्रतिशत,बेगूसराय- 98.0 प्रतिशत, गया- 97.8 प्रतिशत, पूर्णियां - 97.0 प्रतिशत, जहानाबाद- 96.7 प्रतिशत, नालन्दा- 96.5 प्रतिशत गोपालगंज- 96.4 प्रतिशत, सीतामढ़ी- 96.4 प्रतिशत, शिवहर- 94.0 प्रतिशत, मधुबनी- 93.5 प्रतिशत, भोजपुर- 92.5 प्रतिशत, लखीसराय-91.7 प्रतिशत, दरभंगा- 91.0 प्रतिशत, सीवान- 90.6 प्रतिशत एवं पटना- 90.5 प्रतिशत । वैसे जिले जहॉ आवास सॉफ्ट पर 90 प्रतिशत से कम लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि की विमुक्ति आवास सॉफ्ट पर परिलक्षित हो रही वे हैं - कैमूर, मुंगेर, अररिया, खगड़िया, जमुई, सहरसा, पूर्वी चम्पारण, सारण, वेशाली एवं समस्तीपुर।

- **आवास साफ्ट पर निदेश** :- वैसे सभी जिला जिनकी प्रथम किस्त की राशि की विमुक्ति लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत परिलक्षित रही हो रही है उन जिलों के उप विकास आयुक्त को यह निदेश दिया जाता है कि लक्ष्य के विरूद्ध शेष बचे हुए लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि की विमुक्ति का आंकड़ों की एन्ट्रिष्टि आवास सॉफ्ट पर कर लें ।

- **उपलब्ध निधि के विरूद्ध व्यय** :- आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध निधि के विरूद्ध 60 प्रतिशत निधि का व्यय मात्र चार जिले यथा- नवादा, नालन्दा शेखपुरा एवं गया के द्वारा ही 30.11.2014 तक परिलक्षित हो रहा है । शेष जिलों का उपलब्ध निधि के विरूद्ध 60 प्रतिशत से कम निधि का व्यय आवास सॉफ्ट पर परिलक्षित हो रहे हैं ।

- **निदेश** - उन सभी जिलों की जिनकी आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध निधि के विरूद्ध 60 प्रतिशत से कम निधि का व्यय किया गया है, यह निदेश दिया जाता हे कि दिसंबर माह के अंत तक उपलब्ध निधि का कम-से-कम 60 प्रतिशत व्यय करते हुए आवास सॉफ्ट पर अपलोड करें । इस कार्य हेतु यह भी निदेश दिया जाता हे कि वैसे लाभुक जो द्वितीय किस्त प्राप्त के पात्र हो गये हैं उन्हें अविलंब द्वितीय किस्त की या अवशेष राशि का भुगतान करते हुए आवास-सॉफ्ट पर उपलोड करेगे ।

- **पूर्ण आवासों का आवास सॉफ्ट पर अपलोड करना** -सभी जिलों में पूर्ण किये जा रहे आवासों की प्राय: आवास-सॉफ्ट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है जो कि एक गंभीर बिषय है । जिलों के द्वारा प्रेषित किये जा रहे मासिक प्रगति प्रतिवेदन में राज्य स्तर पर इस वित्तीय वर्ष में जहां लगभग दो लाख आवास को पूर्ण किये जाने की सूचना है वहीं यह आंकड़ा आवास सॉफ्ट पर मात्र 6598 परिलक्षित हो रहे है । इस ओर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई है ।

- **निदेश**- सभी उप विकास आयुक्त को यह निदेश दिया जाता है कि वे मासिक प्रगति प्रतिवेदन में दर्शायी गई पूर्ण आवासों को आवास सॉफ्ट पर अपलोड इस माह के अंत तक करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जाएगा ।

- **अपूर्ण आवासों को (Houses Under Construction)को पूर्ण किया जाना** - जिलों के द्वारा प्रेषित किये गये एम.पी.आर. के भौतिक उपलब्धि के प्रपत्र के स्तंभ 14 के अनुसार राज्य में अभी भी लगभग 12.5 लाख (साढ़ बारह लाख) आवास अपूर्ण है , जो कि चिन्ता का विषय है । अत: सभी जिलों का यह निदेश दिया जाता है कि वो अपने-अपने जिलों में अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु वैसे लाभुकों जिन्होंने पूरी राशि प्राप्त करने के बाद भी अपने आवास पूर्ण नहीं किए हों उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई यथा नोटिस देना, निलाम पत्र दायर करना आदि करते हुये आवासों को पूर्ण कराने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य करे एवं इसकी Monitoring निरंतर करें ।

- **विशेष कैंप से संबंधित प्रतिवेदन**- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आयोजित की गई विशेष कैंप से संबंधित एक विस्तृत प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में विभागीय पत्र संख्या- 208058 दिनांक 12.11.2014 के द्वारा मांगी गई थी लेकिन दिनांक 30.11.2014 तक औरंगाबाद,

दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, माधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्णियां, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सीवान एवं सुपौल जिलो के द्वारा उक्त प्रतिवेदन भेजी नहीं गई हैं ।उक्त सभी जिलों को यह निदेश दिया जाता है कि वो एक सप्ताह के अंदर वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में निश्चित रूप से भेजे ।

- **अंकेक्षण प्रतिवदेन** - वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के चर्चा के दौरान यह पाया गया है कि कतिपय जिलों के द्वारा विभाग को अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है । वैसे जिले जिन्होंनं अंकेक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नही कराये हैं वे एक सप्ताह क अनदर विभाग को अंकेक्षण प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है ।

- **केन्द्रांश की द्वितीय किसत की राशि की विमुक्ति हेतु प्रस्ताव का प्रेषण** - सभी जिलों को यह निदेश दिया जाता है कि वे अविलंब केनद्रांश की द्वितीय किस्त की राशि की विमुक्ति हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलबध करा दें ।

SECC

- बैठक में SECC के कार्यान्वयन की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि SECC के निष्पादन में कतिपय जिलों की प्रगति धीमी है । सभी जिलों को निदेश दिया गया कि दिनांक- 31.12.2014 तक SECC से संबंधित सभी कार्यो का शत-प्रतिशत निष्पादन कर लिया जाय ।

बैठक में ECIL के तकनीकी पदाधिकारी श्री आर0 एम0 प्रसाद भी उपस्थित हुए तथा उन्होंने उप विकास आयुक्तों को तकनीकी बातों को बताया ।

अब तक 4 जिलों द्वारा 2nd Phase के अपत्तियों के पूर्ण निष्पादन का प्रतिवेदन दिया गया । वे जिले है:- बक्सर, पू0 चम्पारण, जमुई तथा नालंदा । शेष सभी जिलों को द्वितीय चरण के COTS आवेदनों का पूर्ण निष्पादन कर इस आशय का प्रतिवेदन विभाग को भेजने का निदेश दिया गया । सभी जिलों को SECC का F-File जेनरेट करने हेतु 31 दिसम्बर 2014 तक का समय दिया गया तथा इस कार्य को अंतिम रूप से निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

(एस0 एम0 राजू)
सचिव 1/11/15
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना